रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2489] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 08, 2014/अग्रहायण 17, 1936
No. 2489] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 08, 2014/AGRAHAYANA 17, 1936

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3086(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 19-07-2013 की का.आ .सं. 2203(अ), की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में केवल एक आपत्ति सुझाव/ प्राप्त हुआ है और केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

क्षेत्र और स्थान	दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	भूमि उपयोग परिवर्तन के बाद प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्षेत्र की सीमाएं
11.132 एकड	कृषि /हरित पट्टी	सार्वजनिक /अर्ध सार्वजनिक (कॉलेज)	उत्तर : झज्जर (हरियाणा) के निकट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा दक्षिण : गांव कैर और गांव मित्राउ के बीच प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी सडक पूर्व: कृषि /हरित पट्टी (संलग्न वन क्षेत्र) पश्चिम : कृषि/हरित पट्टी

[सं. के-13011/7/2013-डीडी-I]

मृणाल कांत त्रिपाठी, निदेशक (दिल्ली प्रभाग)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2014

S.O. 3086(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* S.O. No. 2203(E), dated 19-7-2013 for inviting objection/suggestion by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas only one objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Area & Location	Existing Land use as per MPD-2021	Proposed land use after Land use change	Boundaries of the Area
11.132 acres	Agriculture/Green Belt	Public/Semi Public (College)	North : NCTD Boundary near Jhajjar (Haryana) South : Proposed 30 mtr. wide road between village Kair and Village Mitraon. East : Agriculture/Green Belt (Abutting Forest area) West : Agricultural/Green Belt

[No. K-13011/7/2013-DD-I]

MRINAL KANT TRIPATHY, Director (Delhi Division)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.